RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

DATE
नवम्बर
27
2024

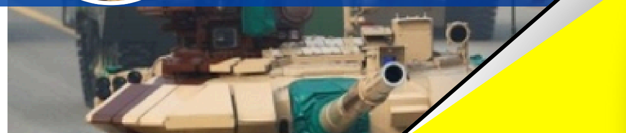

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors
13. Index

By Ankit Avasthi Sir

पैन 2.0 परियोजना / PAN 2.0 Project

पैन 2.0 परियोजना को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति से मंजूरी मिली है, जिसमें 1435 करोड़ रुपये की लागत से नागरिकों को मुफ्त QR कोड के साथ नया पैन कार्ड मिलेगा।

1. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने **PAN 2.0 परियोजना** को मंजूरी दी।
2. यह परियोजना आयकर विभाग द्वारा प्रस्तावित की गई है।

PAN 2.0 परियोजना के बारे में

1. **PAN 2.0** मौजूदा PAN/TAN 1.0 सिस्टम को आधुनिक और एकीकृत बनाएगा, जिसमें कोर और नॉन-कोर PAN/TAN गतिविधियों और PAN सत्यापन सेवाओं को जोड़ा जाएगा।
2. **उद्देश्य**: यह परियोजना उन्नत तकनीक का उपयोग करके करदाताओं की पंजीकरण सेवाओं को बेहतर और आसान बनाने के लिए तैयार की गई है। यह करदाताओं को एक सहज और बेहतर डिजिटल अनुभव प्रदान करेगी।

PAN 2.0 परियोजना के फायदे:

- **आसान आवेदन**: लोग अब बहुत ही सरल तरीके से PAN कार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे।
- **तेज और सटीक प्रक्रिया**: टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया अब कम समय लेने वाली, आसान और सही होगी, साथ ही नई सुविधाओं से लैस होगी।
- **पर्यावरण संरक्षण**: पूरी प्रक्रिया के डिजिटल होने से कागज की बर्बादी कम होगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी।
- **साइबर सुरक्षा**: यह परियोजना साइबर अपराधों की समस्या को हल करने और बेहतर साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक होगी।

PAN 2.0 परियोजना: नई पहल और सुधार:

- **एकीकृत पहचान संख्या**: PAN, TAN और TIN को एक सिस्टम में लाकर अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।
- **उन्नत QR कोड**: नए और मौजूदा PAN कार्ड पर बेहतर QR कोड, वित्तीय लेनदेन को आयकर विभाग से जोड़ेगा। 2017 में पहली बार पेश किए गए QR कोड को अब और प्रभावी बनाया जाएगा, जिससे वित्तीय लेनदेन और आयकर विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा।
- **नया डिजिटल पोर्टल**: 20 साल पुराने सॉफ़्टवेयर की जगह पेपरलेस और उपयोगकर्ता-अनुकूल पोर्टल शुरू होगा।
- **डेटा सुरक्षा वॉल्ट**: PAN डेटा को सुरक्षित रखने के लिए बैंकों और बीमा कंपनियों के लिए PAN डेटा वॉल्ट अनिवार्य होगा।
- **तकनीकी सुधार**: करदाता सेवाओं को आधुनिक तकनीक के साथ तेज, सरल और सटीक बनाया जाएगा।

PAN 2.0 परियोजना के लाभ-

1. **तेज़ी से कामकाज**:
   आवेदन प्रक्रिया और अपडेट तेज़ी से होंगे, जिससे लोगों को लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
2. **सटीकता और विश्वसनीयता**:
   केंद्रीकृत डेटाबेस के माध्यम से करदाताओं द्वारा दी गई जानकारी में त्रुटियां और असंगतियां कम होंगी।
3. **मुफ्त PAN अपग्रेड**:
   मौजूदा PAN उपयोगकर्ताओं को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के नया और उन्नत PAN कार्ड मिलेगा।
4. **पर्यावरण के अनुकूल**:
   डिजिटल प्रक्रिया से कागज का उपयोग खत्म होगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा।
5. **बेहतर डेटा सुरक्षा**:
   उन्नत तकनीक से करदाताओं की संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखा जाएगा।

PAN 2.0: मौजूदा कार्ड और नई सुविधाएं-

1. **पुराने PAN कार्ड मान्य रहेंगे:**
   करदाताओं को नया PAN कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं होगी। मौजूदा कार्ड बिना किसी रुकावट के उपयोग किए जा सकेंगे।
2. **डिजिटल बदलाव की ओर कदम**:
   यह परियोजना तेज़ प्रोसेसिंग, बेहतर सुरक्षा और सरकारी प्लेटफार्मों के साथ आसान एकीकरण को बढ़ावा देती है। PAN अब डिजिटल बिजनेस आइडेंटिफायर की भूमिका निभाएगा।
3. **नए फीचर्स बिना किसी शुल्क के**:
   QR कोड जैसी नई सुविधाएं सभी PAN उपयोगकर्ताओं को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के मिलेंगी।

'वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन' योजना / One Nation, One Subscription: Scheme

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने **'वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन' (ONOS)** योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य पूरे देश में छात्रों और संस्थानों को 13,000 से अधिक शोध पत्रिकाओं तक आसान पहुंच प्रदान करना है।

योजना की मुख्य बातें:

1. **बजट आवंटन**: 2025-2027 के लिए ₹6,000 करोड़ का बजट रखा गया है।
2. **लाभार्थी**: यह योजना 6,300 संस्थानों और 1.8 करोड़ छात्रों को लाभ पहुंचाएगी।
3. **उद्देश्य**: शोध को प्रोत्साहित करना और देश में उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान का वातावरण तैयार करना।

'वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन' (ONOS) योजना:

वन नेशन (भारत) और वन सब्सक्रिप्शन का अर्थ है एक ऐसा सिस्टम, जहां आपको विभिन्न प्लेटफार्मों पर अलग-अलग सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही सब्सक्रिप्शन के जरिए आप सभी जरूरी शैक्षिक सामग्री और सेवाओं तक पहुंच सकेंगे, जिससे आपका अनुभव सरल और समय की बचत वाला होगा।

ONOS योजना के प्रमुख लाभ:

- **विस्तृत शैक्षिक संसाधन**: इस योजना के तहत लगभग 13,000 ई-जर्नल्स का एक्सेस मिलेगा, जो 30 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों से होंगे। इससे छात्रों और शोधकर्ताओं को एक विशाल शैक्षिक सामग्री उपलब्ध होगी।
- **लक्षित संस्थान**: ONOS योजना का लाभ 6,300 से अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों और केंद्रीय अनुसंधान संस्थानों को मिलेगा, जिसमें राज्य और केंद्रीय दोनों प्रकार के संस्थान शामिल हैं।
- **डिजिटल और सरल प्रक्रिया**: यह योजना पूरी तरह से डिजिटल होगी, जिससे संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करना बहुत सरल और उपयोगकर्ता-अनुकूल हो जाएगा।
- **केंद्रीय समन्वय**: इस योजना का समन्वय INFLIBNET (Information and Library Network) द्वारा किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। यह संस्था संस्थानों की ओर से प्रकाशकों को भुगतान करने का कार्य करेगी।
- **बजट आवंटन**: इस योजना के लिए 2025 से 2027 तक ₹6,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जो सरकार के शैक्षिक संसाधनों को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दिखाता है।
- **जागरूकता अभियान**: सरकार ONOS योजना के लाभ और उपयोग के बारे में छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाएगी।
- **एकीकृत और समान पहुंच**: यह योजना विभिन्न सब्सक्रिप्शन मॉडल्स को एकीकृत करेगी, जिससे उन संस्थानों को भी लाभ मिलेगा जो पहले महंगे या सीमित संसाधनों की वजह से गुणवत्तापूर्ण जर्नल्स तक पहुंच नहीं पा रहे थे।
- **लॉन्च तिथि**: ONOS योजना 1 जनवरी 2025 से लागू होगी, जो भारत में शैक्षिक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

प्रावधान और पात्रता मापदंड

- **पात्र संस्थान**: सभी सरकारी उच्च शिक्षा संस्थान (HEIs) और अनुसंधान एवं विकास (R&D) संस्थान इस योजना के तहत पात्र होंगे।
- **जर्नल्स की उपलब्धता**: 30 अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों से 13,000 जर्नल्स मुफ्त में उपलब्ध होंगे।
- **बजट आवंटन**: 2025-2027 के लिए ₹6,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है, और प्रकाशकों को भुगतान INFLIBNET द्वारा केंद्रीय रूप से किया जाएगा।

'वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन' (ONOS) योजना के लाभ-

1. **छोटे शहरों के छात्रों के लिए बेहतर शैक्षिक संसाधन**: यह योजना छोटे शहरों (Tier 2 और Tier 3) के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक संसाधनों तक आसान पहुंच प्रदान करती है, जिससे उन्हें बेहतर शिक्षा मिलती है।
2. **13,000 से अधिक जर्नल्स की पहुंच**: छात्रों को 13,000 से अधिक शैक्षिक जर्नल्स तक पहुंच प्राप्त होगी, जो विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों से होंगे, जिससे वे अपने अध्ययन और अनुसंधान में मदद प्राप्त कर सकेंगे।
3. **शहरी और ग्रामीण संस्थानों के बीच समानता**: यह योजना शहरी और ग्रामीण संस्थानों के बीच अंतर को कम करेगी, जिससे छोटे शहरों के छात्रों को महानगरों के छात्रों जैसी शैक्षिक सुविधाएं मिल सकेंगी।
4. **नवीनतम विषयों पर शोध**: इस योजना के तहत छात्रों को उभरते हुए विषयों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन पर शोध करने का अवसर मिलेगा।
5. **उद्यमिता और रोजगार के अवसर**: बेहतर शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता छात्रों को महत्वपूर्ण कौशल सिखाएगी, जो नौकरी के बाजार में मांग में हैं, साथ ही उद्यमिता को भी बढ़ावा मिलेगा।
6. **आर्थिक विकास में योगदान**: यह योजना छात्रों को आवश्यक कौशल प्रदान करके स्थानीय आर्थिक विकास में योगदान करेगी, जिससे समग्र रूप से राष्ट्र की प्रगति होगी।
7. **शैक्षिक परिदृश्य में सुधार**: ONOS योजना शैक्षिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी, जिससे भारत भर में समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच संभव हो सकेगी।

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन / National Mission on Natural Farming (NMNF)

राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (Natural Farming), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय योजना है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य किसानों को रासायनिक उर्वरकों का उपयोग छोड़कर प्राकृतिक तरीके से अपनी फसलों की खेती करने में मदद करना है।

- ✓ सरकार ने इस मिशन के लिए ₹2,481 करोड़ का बजट आवंटित किया है, जिससे 1 करोड़ किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और 7,50,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को कवर किया जाएगा।
- ✓ किसानों को शून्य बजट प्राकृतिक खेती (Zero Budget Natural Farming) और अन्य प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (NMNF) के प्रमुख बिंदु:

1. **लक्ष्य:**
   इस मिशन का उद्देश्य **एक करोड़ किसानों** को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रशिक्षित करना और उन्हें रासायनिक उर्वरकों के बजाय जैविक पद्धतियों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना है।
2. **क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण:**
   योजना के कार्यान्वयन के लिए **15,000 ग्राम पंचायतों** में **क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण** अपनाया जाएगा, जिससे संसाधनों का बेहतर उपयोग और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा।
3. **जैविक इनपुट संसाधन केंद्र (BRCs):**
   10,000 BRCs स्थापित किए जाएंगे, ताकि किसानों को जैविक इनपुट्स जैसे जैविक खाद और कीटनाशक आसानी से मिल सकें और वे प्राकृतिक खेती को अपनाने में सक्षम हों।
4. **मॉडल डेमोंस्ट्रेशन फार्म्स:**
   2000 मॉडल डेमोंस्ट्रेशन फार्म्स स्थापित किए जाएंगे, जहां **Krishi Vigyan Kendras (KVKs)** और Agricultural Universities (AUs) के साथ-साथ किसानों को प्राकृतिक खेती के अभ्यास सिखाए जाएंगे। इन फार्म्स को **प्रशिक्षित किसान मास्टर ट्रेनर्स** द्वारा समर्थित किया जाएगा।
5. **प्रमाणन और बाजार पहुंच:**
   प्राकृतिक खेती के उत्पादों के लिए **सरल प्रमाणन प्रणाली** और **विशेष ब्रांडिंग** विकसित की जाएगी, ताकि किसानों को अपने उत्पादों के लिए बेहतर बाजार पहुंच मिल सके।

राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन की आवश्यकता:

1. मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार।
2. कृषि लागत को घटाना।
3. जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के लिए।

प्राकृतिक खेती:

प्राकृतिक खेती एक कृषि पद्धति है जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के साथ काम करके फसलों की खेती करती है। इसका उद्देश्य स्थायी और समग्र तरीके से कृषि करना है। यह पद्धति स्थानीय पारंपरिक ज्ञान और कृषि-परिस्थितिकी पर आधारित होती है, जिसमें स्थान-विशेष तकनीकों का उपयोग किया जाता है।

प्राकृतिक खेती के प्रमुख सिद्धांत:

1. **कम से कम मिट्टी में हलचल:** मिट्टी की संरचना को बनाए रखने के लिए न्यूनतम हस्तक्षेप किया जाता है।
2. **जैविक इनपुट्स का उपयोग:** रासायनिक उर्वरकों के बजाय जैविक खाद और सामग्री का उपयोग किया जाता है।
3. **जैव विविधता और बहुविध कृषि:** विभिन्न प्रकार की फसलों को एक साथ उगाने से पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होता है।
4. **जल संरक्षण**: पानी का बचाव और प्रबंधन प्राथमिकता होती है, ताकि संसाधनों का सही उपयोग हो।
5. **प्राकृतिक तरीके से कीटों का नियंत्रण**: कीटनाशकों की बजाय प्राकृतिक तरीकों से कीटों को नियंत्रित किया जाता है।
6. **रासायनिक उर्वरक, खरपतवारनाशक और कीटनाशक का त्याग**: इनकी बजाय प्राकृतिक और जैविक विकल्पों का इस्तेमाल किया जाता है।

प्राकृतिक खेती के लाभ:

- पर्यावरण की रक्षा
- जलवायु परिवर्तन से बचाव
- स्वस्थ और सुरक्षित भोजन
- आर्थिक रूप से लाभकारी

प्राकृतिक खेती की चुनौतियाँ:

- स्थानीय पारिस्थितिकी को समझना
- अधिक श्रम की आवश्यकता
- बाजार की मान्यता की कमी

इसरो द्वारा प्रोबा-3 का प्रक्षेपण / PROBA-3 LAUNCH BY ISRO

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) 4 दिसंबर को श्रीहरिकोटा स्थित अपने लॉन्च केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रॉबा-3 मिशन को PSLV रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित करेगा।

प्रोबा-3 मिशन के बारे में-

1. **विवरण**: प्रोबा -3 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) द्वारा विकसित एक उन्नत सौर मिशन है।
2. **लक्ष्य**: इस मिशन का उद्देश्य सूर्य के कोरोनल परत (सूर्य का बाहरी और सबसे गर्म वायुमंडलीय स्तर) का अध्ययन करना है। यह मिशन 4 दिसंबर 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV) द्वारा लॉन्च किया जाएगा।
3. **ऑर्बिट और कक्षा**: मिशन को 600 किमी x 60,530 किमी की अंडाकार कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जिसका कक्षा काल 19.7 घंटे होगा।
4. **विश्व का पहला "प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग"**: प्रोबा-3 मिशन दुनिया का पहला "प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग" करेगा, जिसमें दो उपग्रह एक साथ उड़ान भरेंगे और अंतरिक्ष में एक निश्चित संरचना बनाए रखते हुए काम करेंगे।

प्रॉबा-3 मिशन पर कौन से उपकरण हैं?

- **ASPIICS**: यह उपकरण सूर्य के कोरोना (सूर्य के बाहरी वायुमंडल) का अवलोकन करता है, खासकर सूर्यग्रहण के दौरान।
- **DARA**: यह उपकरण सूर्य से निकलने वाली कुल सौर विकिरण को मापता है।
- **3DEES**: यह उपकरण इलेक्ट्रॉन फ्लक्स (इलेक्ट्रॉन की गति और घनत्व) का अध्ययन करता है, जो अंतरिक्ष मौसम को समझने में मदद करता है।

प्रोबा-3 मिशन की विशेषताएँ:

1. प्रोबा-3 मिशन में दो उपग्रह शामिल हैं -
   - **ऑक्लूटर उपग्रह (200 किलोग्राम)**: यह उपग्रह सूर्य पर कृत्रिम सूर्यग्रहण बनाने के लिए छाया डालता है।
   - **कोरोनाग्राफ उपग्रह (340 किलोग्राम)**: यह उपग्रह सूर्य के कोरोना का अध्ययन करता है और सूर्य के बाहर के वातावरण की तस्वीरें खींचता है।
2. **सटीक संरेखण**: दोनों उपग्रह एक-दूसरे से लगभग 150 मीटर की दूरी पर समानांतर गति करेंगे और प्रतिदिन 6 घंटे तक सूर्य के कोरोना का निरंतर अवलोकन करेंगे। इस सटीक संरेखण को बनाए रखने के लिए, एक उपग्रह से दूसरे उपग्रह पर लेजर प्रकाश का उपयोग किया जाएगा।
3. **कृत्रिम सूर्यग्रहण**: प्राकृतिक सूर्यग्रहण केवल 10 मिनट तक होते हैं, लेकिन प्रोबा-3 मिशन में उपग्रह हर दिन 6 घंटे तक सूर्यग्रहण जैसी परिस्थितियाँ प्रदान करेंगे, जो लगभग 50 सूर्यग्रहणों के बराबर है। यह सूर्य के कोरोना का विस्तृत अध्ययन करने में मदद करेगा।
4. **सौर कोरोनाग्राफ का उपयोग**: मिशन में एक विशाल सौर कोरोनाग्राफ का उपयोग किया जाएगा, जो सूर्य के प्रकाश को रोककर, सूर्य के कोरोना और इसके आसपास के वातावरण का अध्ययन करने के लिए उपग्रहों को सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा

प्रोबा-3 मिशन भारत के लिए लाभकारी-

- **भारत की प्रक्षेपण क्षमता को प्रदर्शित करेगा**: प्रोबा-3 मिशन भारत के PSLV रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष प्रक्षेपण की क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
- **भारत और ESA के बीच अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा देगा**: यह मिशन भारत और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के बीच सहयोग को और विस्तारित करेगा।
- **भारतीय वैज्ञानिकों को नए अवसर प्रदान करेगा**: प्रोबा-3 भारत के वैज्ञानिकों को सौर भौतिकी और अंतरिक्ष मौसम के अध्ययन में नए अवसर प्रदान करेगा, जिससे भारत की अंतरिक्ष वैज्ञानिकता को मजबूती मिलेगी।

ISRO के बारे में जानकारी:

- **स्थापना**: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की स्थापना 15 अगस्त 1969 को विक्रम साराभाई के प्रयासों से INCOSPAR के रूप में की गई थी।
- **मुख्यालय**: ISRO का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है।
- **वर्तमान अध्यक्ष**: ISRO के वर्तमान अध्यक्ष श्री एस. सोमनाथ हैं।
- **पहला उपग्रह**: 'आर्यभट्ट' भारत का पहला उपग्रह था, जिसे 1975 में लॉन्च किया गया।
- **मार्स ऑर्बिटर मिशन**: 5 नवम्बर 2013 को भारत ने मंगल पर अपना पहला मिशन लॉन्च किया, और ISRO ने भारत को पहला ऐसा देश बनाया जो मंगल पर अपनी पहली कोशिश में सफलता प्राप्त कर पाया।
- **वर्ल्ड रिकॉर्ड**: 15 फरवरी 2017 को ISRO ने एक ही रॉकेट (PSLV-C37) से 104 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर विश्व रिकॉर्ड बनाया।

मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए संयुक्त राष्ट्र समिति का प्रस्ताव / U.N. COMMITTEE RESOLUTION FOR CRIMES AGAINST HUMANITY

संयुक्त राष्ट्र महासभा की कानूनी समिति ने मानवता के खिलाफ अपराधों को रोकने और दंडित करने के लिए पहली बार एक ऐतिहासिक संधि की बातचीत शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी।

- यह कदम लंबे समय तक चली कड़ी बातचीत के बाद उठाया गया, जिसमें रूस ने उन संशोधनों को वापस ले लिया, जो इस प्रक्रिया को बाधित कर सकते थे।
- इस प्रस्ताव से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है ताकि मानवता के खिलाफ अपराधों को प्रभावी तरीके से रोका जा सके और अपराधियों को सजा दिलाई जा सके।

U.N. प्रस्ताव: मानवता के खिलाफ अपराध:

- **समर्थन**: इस प्रस्ताव को 98 देशों, जिनमें मेक्सिको और गाम्बिया शामिल हैं, का समर्थन प्राप्त हुआ है।
  - यह प्रस्ताव मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून में मौजूद कमी को दूर करने की आवश्यकता को दर्शाता है, क्योंकि वर्तमान संधियाँ युद्ध अपराध, जातीय सफाया और यातना को ही कवर करती हैं।
- **ICC की भूमिका**: अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) युद्ध अपराध, जातीय सफाया और मानवता के खिलाफ अपराधों की सुनवाई करता है, लेकिन इसके पास कई देशों में न्यायिक अधिकार (jurisdiction) नहीं है।
- **नई संधि का उद्देश्य**: इस प्रस्तावित संधि का उद्देश्य उन देशों में मानवता के खिलाफ अपराधों को दंडित करना है जो ICC के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।
- **महत्व**: इस प्रस्ताव को अंतरराष्ट्रीय कानून के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है, क्योंकि यह इथियोपिया, सूडान, यूक्रेन, गाजा और म्यांमार जैसे देशों में मानवता के खिलाफ अपराधों के खिलाफ कार्रवाई की दिशा में एक मजबूत पहल है।

मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए अलग संधि:

1. **वैश्विक अत्याचार**: संघर्षों और अत्याचारों के बढ़ने के कारण एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की आवश्यकता है।
2. **ICC की सीमाएँ**: ICC कई देशों में कार्यवाही नहीं कर सकता, एक संधि इसे वैश्विक स्तर पर लागू करेगी।
3. **कानूनी अंतराल**: मौजूदा संधियाँ मानवता के खिलाफ अपराधों को कवर नहीं करतीं, जिससे अपराधी सजा से बच जाते हैं।
4. **व्यापक दायरा**: मानवता के खिलाफ अपराधों में हत्या, बलात्कार, यातना, निर्वासन जैसे अपराध शामिल हैं।
5. **सार्वभौमिक जिम्मेदारी**: संधि से अपराधियों के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं रहेगा, और न्याय सुनिश्चित होगा।

संघर्षों को नियंत्रित करने वाले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कानून:

1. **1949 जिनेवा कन्वेंशन:**
   - यह चार अंतरराष्ट्रीय संधियाँ सशस्त्र संघर्षों के दौरान मानवीय सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा करती हैं।
   - ये घायल सैनिकों, युद्ध बंदियों, और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं, और मानवीय व्यवहार और गैर-लड़ाई करने वालों के अधिकारों को बनाए रखती हैं।
   - 196 देशों द्वारा अनुमोदित, यह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून की नींव बनाती हैं और युद्ध के खतरों को सीमित करती हैं।
2. **जिनेवा कन्वेंशन के अतिरिक्त प्रोटोकॉल (1977):**
   - ये दो प्रोटोकॉल नागरिक संघर्षों और गैर-अंतरराष्ट्रीय संघर्षों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए बनाए गए।
   - इन प्रोटोकॉल का उद्देश्य मानवीय सिद्धांतों को मजबूत करना और युद्ध के दौरान अधिक व्यापक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
3. **अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून (IHL):**
   - इसे युद्ध कानून (LOAC) भी कहा जाता है, जो सशस्त्र संघर्षों में युद्ध की कार्यविधि को नियंत्रित करता है।
   - इसका उद्देश्य उन लोगों की सुरक्षा करना है जो युद्ध में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले रहे हैं, जैसे नागरिक, चिकित्सा कर्मी, और युद्ध बंदी।
   - यह कानून युद्ध के तरीकों और साधनों को सीमित करता है, ताकि मानवीय सुरक्षा सुनिश्चित हो और पीड़ाओं को कम किया जा सके।
   - जिनेवा कन्वेंशन और हेग नियम इसके मुख्य आधार हैं।
4. **हेग कन्वेंशन (1899, 1907):**
   - ये कन्वेंशन युद्ध के नियमों और युद्ध अपराधों से संबंधित हैं।
   - इसका ध्यान युद्ध संचालन, बंदियों के उपचार, और नागरिकों तथा सांस्कृतिक संपत्तियों की सुरक्षा पर है।
5. **अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) का विधेयक (1998):**
   - ICC युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों, और जातीय सफाया जैसे गंभीर अपराधों के लिए व्यक्तियों को न्याय दिलाने हेतु स्थापित किया गया था।
   - इसका उद्देश्य IHL के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 / Global Cooperative Conference 2024

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 2024 ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया।

- **उद्घाटन**: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2024 ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया।
- **संयुक्त राष्ट्र की पहल**: पीएम मोदी ने 2025 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 'अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष' की शुरुआत की।
- **डाक टिकट विमोचन**: एक विशेष डाक टिकट का विमोचन किया गया।
- **उपस्थिति**: गृह मंत्री अमित शाह, भूटान के प्रधानमंत्री, फीजी के उप प्रधानमंत्री, और ICA के अध्यक्ष सहित कई अन्य प्रमुख व्यक्तित्व उपस्थित थे।

वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024

स्थान और तिथि:ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 25-30 नवम्बर 2024 को दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।

मुख्य घटनाएँ:

- भारत के प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में 'संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025' की शुरुआत करेंगे।
- आईसीए (ICA) के 130 साल के इतिहास में यह पहली बार है जब भारत ने इस सम्मेलन में भाग लिया है।
- केंद्रीय सहकारिता मंत्री इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करेंगे।
- इस सम्मेलन में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।

सम्मेलन का विषय:

मुख्य विषय: 'सहकारी सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करते हैं'

उप-विषय:

1. नीति और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम बनाना
2. सभी के लिए समृद्धि बनाने के लिए उद्देश्यपूर्ण नेतृत्व को पोषित करना
3. सहकारी पहचान की पुष्टि करना
4. 21वीं सदी में सभी के लिए समृद्धि को साकार करने की दिशा में भविष्य को आकार देना

उद्देश्य:

- सहकारी संस्थाओं की भूमिका को प्रदर्शित करना, जो समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देती हैं।
- वैश्विक सहकारी विकास के लिए नवोन्मेषी रणनीतियों का पता लगाना।
- संयुक्त राष्ट्र के "अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष-2025" का शुभारंभ करना।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA) के प्रमुख बिंदु:

1. **स्थापना और इतिहास**:
   - ICA की स्थापना 1895 में हुई थी।
   - यह दुनिया के सबसे पुराने गैर-सरकारी संगठनों में से एक है।
2. **मुख्य उद्देश्य**:
   - ICA सहकारी संस्थाओं को एकजुट करता है और उनका प्रतिनिधित्व करता है।
   - यह सहकारी संस्थाओं के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है।
3. **सहकारी पहचान**:
   - ICA सहकारी पहचान पर एक बयान का संरक्षक है, जिसमें 10 मूल्यों और 7 सिद्धांतों का उल्लेख है।
4. **सदस्य और संरचना**:
   - ICA के 306 से अधिक सदस्य संगठन हैं, जो 105 देशों से आते हैं।
   - सदस्य विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में कार्यरत सहकारी संस्थाएं हैं।
5. **कार्यालय**:
   - ICA का केंद्रीय कार्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है।
   - इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय अफ्रीका, अमेरिका, एशिया-प्रशांत और यूरोप में हैं।
6. **क्षेत्रीय संगठनों का संचालन**:
   - ICA के पास कृषि, उद्योग, सेवाएं, बैंकिंग, स्वास्थ्य, आवास, और बीमा जैसे क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय सहकारी संगठन हैं।

अटल नवाचार मिशन / Atal Innovation Mission

केंद्र सरकार ने NITI आयोग (राष्ट्रीय संस्थान फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) के तहत अटल नवाचार मिशन (AIM) को जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके लिए 2,750 करोड़ रुपये का बढ़ा हुआ बजट आवंटित किया गया है, जिससे AIM 2.0 की शुरुआत की जा रही है। यह मिशन भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को 2028 तक मजबूत करेगा।

अटल नवाचार मिशन 2.0 के बारे में:

- मंत्रालय/विभाग: NITI आयोग
- बजट: ₹2,750 करोड़
- अवधि: 31 मार्च 2028 तक

उद्देश्य: भारत के नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, नवाचार में गुणवत्ता के इनपुट, थ्रूपुट और आउटपुट को सुधारना।

मुख्य विशेषताएँ-

1. इनपुट बढ़ाना (अधिक नवाचारकर्ता और उद्यमियों को लाना):

- **भाषा-संवेदनशील नवाचार कार्यक्रम (LIPI)**: तय भाषाओं में नवाचार केंद्र।
- **फ्रंटियर कार्यक्रम**: जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तर-पूर्वी राज्यों और प्रेरणादायक जिलों के लिए योजनाएँ।

2. सफलता दर (थ्रूपुट) में सुधार:

- **मानव संसाधन विकास कार्यक्रम**: प्रशिक्षकों, प्रबंधकों और शिक्षकों का प्रशिक्षण।
- **डीपटेक रिएक्टर**: डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए परीक्षण सुविधाएँ।
- **राज्य नवाचार मिशन (SIM)**: राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को NITI आयोग की सहायता।
- **अंतर्राष्ट्रीय नवाचार सहयोग**: वैश्विक टिंकरिंग ओलंपियाड और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियाँ।

3. आउटपुट में सुधार:

- **उद्योग तेज़ी कार्यक्रम**: PPP मोड में उद्योग त्वरक।
- **अटल क्षेत्रीय नवाचार लांचपैड (ASIL)**: iDEX जैसे प्लेटफार्मों का निर्माण।

अटल इनोवेशन मिशन 1.0:

1. **अटल टिंकरिंग लैब्स (ATL):** 10,000+ लैब्स स्कूलों में स्थापित, छात्रों में नवाचार को बढ़ावा देना।
2. **अटल इनक्यूबेशन सेंटर (AICs):** विश्वविद्यालयों और संस्थानों में स्टार्टअप्स को मेंटरशिप, फंडिंग और तकनीकी सहायता।
3. **अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर**: हाशिये पर रहने वाले क्षेत्रों में नवाचार को प्रोत्साहित करना।

अटल इनोवेशन मिशन (AIM):

परिचय: अटल इनोवेशन मिशन (AIM) 2016 में NITI आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य छात्रों में समस्या हल करने की सोच को बढ़ावा देना और विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थानों में उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है।

AIM के प्रमुख कार्यक्रम:

1. **अटल टिंकरिंग लैब्स (ATLs):**
   - स्कूलों में स्थापित, जिनका उद्देश्य कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों में नवाचार को बढ़ावा देना।
   - छात्रों को 3D प्रिंटिंग जैसे उपकरणों का उपयोग करके रचनात्मकता और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना।
2. **अटल इनक्यूबेशन सेंटर (AICs):**
   - व्यापार इनक्यूबेटर्स जो स्टार्टअप्स को मेंटरशिप, फंडिंग, और तकनीकी समर्थन प्रदान करते हैं।
   - नवप्रवर्तनशील और युवा उद्यमियों के लिए एक सहयोगात्मक वातावरण बनाना।
3. **अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर (ACICs):**
   - यह कार्यक्रम विशेष रूप से हाशिये पर रहने वाले क्षेत्रों (Tier 2/3 शहरों, आदिवासी क्षेत्रों) में नवाचार को बढ़ावा देता है।
   - इन क्षेत्रों में समाजिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए नवाचार की संभावना तलाशता है।
4. **अटल न्यू इंडिया चैलेंज (ANIC):**
   - यह कार्यक्रम उन तकनीकी नवाचारों को समर्थन देता है, जो राष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान करने में मदद कर सकते हैं।
   - स्टार्टअप्स को फंडिंग और मेंटरशिप प्रदान करता है।
5. **मेंटर इंडिया:**
   - AIM के तहत 6,200 से अधिक मेंटर्स को विभिन्न क्षेत्रों से जोड़ता है, जो उद्यमियों और नवप्रवर्तकों को मार्गदर्शन देते हैं।
   - इनमें से अधिकांश मेंटर्स ने अपनी विशेषज्ञता से नवाचार और उद्यमिता को मजबूत किया है।

रियाद डिजाइन कानून संधि / Riyadh Design Law Treaty

भारत ने समावेशी विकास और बौद्धिक संपदा संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए रियाद डिजाइन कानून संधि के अंतिम अधिनियम पर हस्ताक्षर किए हैं।

डिज़ाइन लॉ संधि (DLT) के प्रमुख विशेषताएँ:

1. **उद्देश्य:** डिज़ाइन मानकों की सुरक्षा को समान और बेहतर बनाने के लिए यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है।
2. **संधि का लागू होना:** संधि को लागू होने के लिए 15 सदस्य देशों की आवश्यकता होती है।

मुख्य विशेषताएँ:

- **इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण**: डिज़ाइन पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए अब डिज़ाइन को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किया जा सकता है।
- **ग्रेस पीरियड**: डिज़ाइन का खुलासा करने के बाद 12 महीने का ग्रेस पीरियड मिलता है, इस दौरान डिज़ाइन के पंजीकरण की वैधता प्रभावित नहीं होती।
- **अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा**: यह डिज़ाइनर्स को कई देशों में अपनी डिज़ाइन के लिए सुरक्षा प्राप्त करने में मदद करता है, पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाता है।
- **समय सीमा चूकने पर राहत**: यदि आवेदनकर्ता किसी समय सीमा को चूक जाते हैं, तो संधि उन्हें अपने अधिकारों को खोने से बचने के लिए राहत उपाय प्रदान करती है।

डिज़ाइन लॉ संधि के लाभ:

1. **सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों (SMEs) को लाभ:** डिज़ाइन पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाकर, यह छोटे व्यवसायों, स्टार्ट-अप्स और स्वतंत्र डिज़ाइनर्स को लाभ पहुंचाता है।
2. **पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का संरक्षण**: डिज़ाइन पंजीकरण के दौरान पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की रक्षा करता है।
3. **सुविधाजनक और किफायती प्रक्रिया**: डिज़ाइन सुरक्षा प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट और किफायती बनाता है, जिससे डिज़ाइनर्स के लिए प्रक्रिया सस्ती और सरल होती है।
4. **वैश्विक रचनात्मकता को बढ़ावा**: समान प्रक्रियाओं के कारण कानूनी निश्चितता मिलती है, जो वैश्विक स्तर पर डिज़ाइन में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करती है।
5. **भारत में डिज़ाइन नीति**: भारत ने 2007 में राष्ट्रीय डिज़ाइन नीति को अपनाया, जिससे नवाचार को बढ़ावा मिलता है। पिछले दस वर्षों में, भारत में डिज़ाइन पंजीकरण तीन गुना बढ़ गए हैं।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) के बारे में:

1. **स्थापना और स्थान:**
   यह संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष एजेंसी है, जो स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में स्थित है। इसे 1967 में WIPO कन्वेंशन द्वारा स्थापित किया गया था।
2. **मिशन:**
   इसका मिशन एक संतुलित और प्रभावी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा (IP) प्रणाली का विकास करना है, जो सभी के लाभ के लिए नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देती है।
3. **सदस्य:**
   WIPO के वर्तमान में 193 सदस्य राष्ट्र हैं।
4. **वैश्विक नीति मंच:**
   यह एक वैश्विक नीति मंच प्रदान करता है, जहां सरकारें, अंतरसरकारी संगठन, उद्योग समूह और नागरिक समाज मिलकर बौद्धिक संपदा से जुड़े बदलते मुद्दों पर चर्चा करते हैं।
5. **सदस्यों की बैठकें:**
   इसके सदस्य राज्य और पर्यवेक्षक नियमित रूप से विभिन्न स्थायी समितियों और कार्य समूहों में मिलते हैं।
   - ✓ इन बैठकों में सदस्य सदस्य देशों के बीच बौद्धिक संपदा प्रणाली में बदलाव और नए नियमों पर चर्चा करते हैं, ताकि यह प्रणाली बदलते समय के साथ मेल खाती रहे और नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करती रहे।

26/11 हमलों की 16वीं वर्षगांठ / 16th Anniversary of 26/11 Attacks

26 नवंबर 2008 को हुए मुंबई आतंकवादी हमलों की 16वीं बरसी के अवसर पर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सहित अनेक नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और हमलों में जान गंवाने वाले नागरिकों और सुरक्षा बलों की वीरता को याद किया।

26/11 मुंबई हमला:

26/11 मुंबई हमले में 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने लश्कर-ए-तैयबा के तहत 26 नवंबर 2008 को मुंबई के प्रमुख स्थानों, जैसे ताज होटल और ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल, पर हमला किया था। इस आतंकवादी हमले में 166 लोगों की मौत हुई और 300 से अधिक लोग घायल हुए थे। यह हमला समुद्र के रास्ते हुआ था।

26/11 मुंबई हमले ने भारत की सुरक्षा कमजोरियों को उजागर किया।

मुख्य कमजोरियाँ:

- **खुफिया विफलताएँ**: सुरक्षा एजेंसियों के बीच जानकारी का सही समय पर आदान-प्रदान न होना।
- **सामुद्रिक सुरक्षा**: भारत के समुद्री सीमा की सुरक्षा कमजोर थी, आतंकवादी समुद्र के रास्ते पहुंचे थे।
- **संयोजन की कमी**: भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और पुलिस के बीच समन्वय की कमी थी।
- **डिजिटल कमजोरियाँ**: ऑनलाइन कट्टरपंथी प्रचार और समर्थन का मुकाबला करने में असमर्थता।
- **विशेषीकृत प्रशिक्षण की कमी**: सुरक्षा बलों को शहरी आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं था।
- **धीमी प्रतिक्रिया**: सुरक्षा बलों की देरी से प्रतिक्रिया ने हमलावरों को कई घंटों तक सक्रिय रहने का अवसर दिया।
- **साइबर सुरक्षा की कमी**: हमलावरों ने उपग्रह फोन का उपयोग कर पाकिस्तान से संपर्क बनाए रखा।

26/11 हमले के बाद सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाए गए प्रमुख कदम:

1. **समुद्री सुरक्षा सुधार**:
   - भारतीय नौसेना को समुद्र की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया।
   - तटरक्षक बल और समुद्री पुलिस के साथ समन्वय बढ़ाया गया।
   - सागर प्रहरी बल की स्थापना की गई और तटीय सुरक्षा अभ्यास नियमित रूप से किए गए।
2. **खुफिया समन्वय में सुधार**:
   - **मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC)** को मजबूत किया गया, जिससे केंद्रीय एजेंसियों और राज्य पुलिस के बीच बेहतर जानकारी साझा की गई।
   - आतंकवाद और कट्टरपंथ पर ध्यान केंद्रित किया गया।
3. **संस्थागत उपाय**:
   - **राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केंद्र (NCTC)** की स्थापना की गई, जो आतंकवाद से निपटने के लिए रणनीति तैयार करता है।
   - CCTNS प्रणाली और NATGRID प्रणाली को लागू किया गया, जिससे अपराध और आतंकवाद के खिलाफ डेटा साझा किया जा सके।
4. **कानूनी सुधार**:
   - UAPA कानून में संशोधन किया गया, ताकि आतंकवाद के खिलाफ अधिक प्रभावी कदम उठाए जा सकें।
   - **NIA Act, 2008** के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी बनाई गई, जो राज्यों में आतंकवाद के मामलों की जांच करती है।
5. **पुलिस बलों का आधुनिकीकरण**:
   - पुलिस बलों को आधुनिक तकनीक से लैस किया गया और आतंकवाद से निपटने के लिए NSG के चार क्षेत्रीय हब बनाए गए।
6. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग**:
   - **अमेरिका** ने भारत को वास्तविक समय में जानकारी प्रदान की, जिससे पाकिस्तान पर दबाव डाला जा सका।
   - FATF के दबाव में पाकिस्तान को आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया गया।

भारत-तंजानिया संयुक्त रक्षा बैठक / India-Tanzania Joint Defence Meeting

तीसरी भारत-तंजानिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (JDCC) की बैठक 26 नवंबर, 2024 को गोवा में हुई, जिसमें प्रशिक्षण, समुद्री सहयोग और रक्षा उद्योग सहयोग सहित रक्षा संबंधों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

भारत और तंजानिया के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बैठक

1. **महत्वपूर्ण बैठक**:
   - 26 नवंबर, 2024 को भारत और तंजानिया के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई।
   - बैठक का उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाना था।
2. **बैठक का मुख्य विषय**:
   - **ट्रेनिंग साझेदारी**: दोनों देशों के बीच सैन्य प्रशिक्षण सहयोग बढ़ाने पर चर्चा।
   - **सर्विस-टू-सर्विस सहयोग**: सैन्य सेवाओं के बीच सहयोग को सुदृढ़ करना।
   - **समुद्री सहयोग**: समुद्री सुरक्षा और सहयोग बढ़ाने पर जोर।
   - रक्षा उद्योग सहयोग: रक्षा उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला पर सहयोग बढ़ाना।
3. **बैठक की प्रगति और समीक्षा**:
   - जेडीसीसी (संयुक्त रक्षा सहयोग समिति) की तीसरी बैठक।
   - पिछले निर्णयों की प्रगति की समीक्षा और नए क्षेत्रों की पहचान।
4. **भारतीय प्रतिनिधिमंडल**:
   - भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद ने किया।
   - प्रतिनिधिमंडल में सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
5. **तंजानियाई प्रतिनिधिमंडल**:
   - तंजानियाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व थल सेना के कमांडर मेजर जनरल फदिल ओमारी नोंडो ने किया।
   - तंजानियाई प्रतिनिधिमंडल गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और नेवी के समुद्री जहाज आईएनएस हंसा का दौरा करेगा।
6. **घनिष्ठ रिश्ते और सहयोग**:
   - भारत और तंजानिया के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं।
   - दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के लिए पांच वर्ष का कार्यक्रम निर्धारित किया।
7. **हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा**:
   - भारतीय नौसेना प्रमुख ने तंजानिया समेत कई देशों से महासागर विषयक वर्चुअल इंटरएक्शन किया।
   - इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा चुनौतियों को कम करने के लिए प्रशिक्षण सहयोग था।

तंजानिया का परिचय:

1. **स्थान**:
   - तंजानिया पूर्वी अफ़्रीका में स्थित है।
   - उत्तर में कीनिया और युगांडा, पश्चिम में रवांडा, बुरुंडी और कांगो, दक्षिण में ज़ाम्बिया, मलावी और मोज़ाम्बिक से सीमाएँ साझा करता है।
   - पूर्वी सीमा हिंद महासागर द्वारा निर्धारित है।
2. **राजधानी**:
   - सरकारी राजधानी: डोडोमा (1996 से)।
3. **इतिहास**:
   - तंजानिया का नाम 1964 में तंगानयिका और ज़ांज़ीबार के एकीकरण से आया।
   - तंगानयिका और ज़ांज़ीबार का संयुक्त गणराज्य अस्तित्व में आया, जिसका नाम बाद में तंजानिया का संयुक्त गणराज्य रखा गया।
4. **शासन**:
   - तंजानिया एक गणराज्य है।
   - **राष्ट्रपति**: सामिया सुलुहू हसन।
   - **प्रधानमंत्री**: कासिम माजलीवा।
5. **आधिकारिक** भाषा:
   - स्वाहिली (मुख्य भाषा)।
6. **मुद्रा**:
   - तंजानिया शिलिंग (TZS)।
7. **प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन**:
   - तंजानिया में प्रसिद्ध प्राकृतिक स्थल जैसे सेरेंगेटी नेशनल पार्क और किलिमंजारो पर्वत हैं।
8. **आर्थिक महत्त्व**:
   - दार-एस-सलाम शहर तंजानिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक केंद्र और बंदरगाह है।
9. **संविधान और संस्थाएँ**:
   - तंजानिया का संविधान और सरकारी संरचना लोकतांत्रिक है, जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों की महत्वपूर्ण भूमिकाएँ हैं।

"GET READY FOR A WILD RIDE OF KNOWLEDGE !"
SUBSCRIBE OUR NEW YOUTUBE CHANNEL
ANKIT AVASTHI
Video will be upload soon !
ANKIT AVASTHI

RRB NTPC
TEST SERIES
100+ Mock Test
78 Sectional Test
40+ years PYPs
60+ Current affairs
TEST
Only
99
Per
Year
Buy Now

GA FOUNDATION

Hand Written Notes

Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर

Ankit Inspires India

₹ Only 1999

4 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट

अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

7878158882

APNI PATHSHALA

Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर

UPPSC,RO/ARO,BPSC,UP TEST SERIES

UPPSC
(TEST SERIES)
299/- YEAR
- 35+ MOCK TESTS
- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

RO/ARO
(TEST SERIES)
ONLY 299/- YEAR
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

BPSC
(TEST SERIES)
ONLY 299 YEAR
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

SSC (TEST SERIES)
ONLY 99/- YEAR
- 30 MOCK TESTS
- 28+ YEAR PYP
- 12 SECTIONAL TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

RPF (TEST SERIES)
ONLY 99/- YEAR
- 40 MOCK TESTS
- 2 YEAR PYQ'S
- 4 SECTIONAL TEST
- 10 PRACTICE TEST
- 60 CURRENT AFFAIRS

Download | Application
Apni Pathshala
7878158882

Apni.Pathshala Avasthiankit
AnkitAvasthiSir kaankit

ANKIT AVASTHI SIR

NCERT COMPLETE
FOUNDATION BATCH
FOR ALL
POLITY
ECONOMICS
HISTORY
GEOGRAPHY
LIVE
DAILY LIVE CLASSES
, WEEKLY TEST
CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
LIVE DOUBT SESSIONS
DAILY PRACTISE PROBLEM
Rs
4999/-
Apni Pathshala
7878158882
Apni.Pathshala
kaankit
AnkitAvasthiSir
Avasthiankit

ONLY
POLITY
1499
RS
DAILY LIVE CLASSES
, WEEKLY TEST
CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
LIVE DOUBT SESSIONS
DAILY PRACTISE PROBLEM
Apni Pathshala
7878158882
Apni.Pathshala
kaankit
AnkitAvasthiSir
Avasthiankit

SSC TEST SERIES
CGL, CHSL, MTS, CET, CPO, GD,
Stenographer (Grades C & D)
Only at
99/-Year
Enroll Now !